

आदेश ब इजलारा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 190/2024 (धारा 14 सिक्क्योरिटाईजेशन)
इण्डिया शेल्टर फाईनेंस कारपोरेशन लिमिटेड रजिस्टर्ड पता छठी मंजिल, प्लाट नम्बर 15, इण्डिरिड्रयल
एरिया, सेक्टर 14 गुरुग्राम व शाखा कार्यालय शाप नम्बर 67बी व 68, सेकिण्ड फलोर, प्लाट नम्बर 277,
देगोर नगर, डीसीएम के पास, जयपुर रोड जयपुर

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

- 1 नैना देवी
- 2 सीताराम बैरवा
- 3 राकेश कुमार बैरवा
- 4 रमेश बैरवा

पता- (1) डी-229, किरों की ढाणी हाज्यावाला, सांगानेर बाजार, अपोजिट गेट नम्बर-2, जयपुर

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The
Securitisation and Reconstruction of Financial
Assets and Enforcement of Security Interest
Act, 2002.

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 11.06.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हीरो हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.03.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री सीताराम बैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नम्बर एफ एफ-1, ब्लॉक नम्बर 30, राजीव आवास योजना, ग्राम हाज्यावाला, सांगानेर, जयपुर कुल क्षेत्रफल 36.25 वर्ग मीटर को बन्धक रख कर 3,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.01.2024 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किये व दो अखबारों में भी साया करवाया गया व सम्पत्ति पर चस्या भी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय कम्पनी ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवधिक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

प्रमोद
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 3,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 1,95,606/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.01.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है एवं अखबार में भी साया करवाया गया है तथा सम्पत्ति पर चर्चा भी किया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत कम्पनी बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।


अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में अप्रार्थी श्री सीताराम बैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नम्बर एफ एफ-1, ब्लॉक नम्बर 30, राजीव आवास योजना, ग्राम हाज्यावाला, सांगानेर, जयपुर कुल क्षेत्रफल 36.25 वर्ग मीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को प्राप्त करने में सहयोग कर कम्पनी

को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला माजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर